रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-495/2023/06/22-2-2023-17(810)/2017
लखनऊ: दिनांक: 14 अगस्त, 2023

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दलजीत सिंह (बन्दी संख्या-17158) पुत्र श्री दृगपाल सिंह निवासी-ग्राम-ताजूखेल, थाना-सदर बाजार, जनपद-शाहजहांपुर जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-997/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश, ई0सी0 एक्ट, कोर्ट संख्या-9, शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 24.06.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14-02-2012 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा गया, द्वारा दिनांक 10-11-2022 तक 20 वर्ष 01 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 11 माह 10 दिन की भोगी गयी सपरिहार सजा एवं जेल आचरण संतोषजनक होने के दृष्टिगत बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-495/2023/06(1)/22-2-2023 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।
3- पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (क्रि0) संख्या-397/2021 दलजीत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य सहबद्ध रिट याचिका सं0-336/2019 रसीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in